न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–268/2014

उनवान

1 श्रीमति लादी पुत्री श्री रामचन्द्र खाती , निवासी खेजडी तह. हुरडा।
2 श्रीमति छोटिया पुत्री रामचन्द्र खाती , निवासी खेजडी, तह. हुरडा।

–वादीगण

1 दामोदर पिता रामचन्द्र खाती , निवासी खेजडी तहसील हुरडा ।
2 मदनलाल पिता रामचन्द्र खाती निवासी खेजडी तहसील हुरडा
3 महावीर पिता रामचन्द्र खाती , निवासी खेजडी तहसील हुरडा
4 पुखराज पिता रामचन्द्र खाती, निवासी खेजडी, तहसील हुरडा ।
5 श्रीमति कंचन बैवा रामचन्द्र खाती निवासी खेजडी , तहसील हुरडा।
6 श्रीमति गुडडी पुत्री श्री राधेश्याम दोहइती रामचन्द्र खाती निवासी ईटडियॉ , तहसील शाहपुरा जिला– भीलवाडा
7 पूजा पुत्री राधेश्याम दोईती श्री रामचन्द्र खाती निवासी ईटडिया तहसील शाहपुरा जिला– भीलवाडा ।
8 श्रीमति अमीना पत्नि अकबर मौहम्मद, मुसलमान निवासी खेजडी तहसील हुरडा जिला भीलवाडा ।
9 श्रीमान् तहसीलदार हुरडा , तहसील हुरडा ।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री धर्मेन्द्र आमेठा , वकील वादी
श्रीमति निर्मला जैन, वकील प्रतिवादी 1

वादपत्र अर्न्तगत धारा–88, 92 ए, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक– 13.06.2018

1– वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 7 की मिलकियत कब्जेयाबी पुस्तैनी आराजीयात खाता संख्या– 909 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा आराजी नम्बर– 1363/2 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर– 1988 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर– 1989 रकबा 03 बीघ 11 बिस्वा कुला किता 4 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम खेजडी में स्थित होकर उक्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 7 के पिता– पति एवं नाना श्री रामचन्द्र पुत्र श्री मांगीलाल के समय की होकर उक्त आराजीयात सम्वत् 2042– 2045 के राजस्व रेकार्ड में रामचन्द्र के नाम दर्ज है उक्त अराजीयात हाल राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण 1 से 5 के नाम सालमाती दर्ज है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

1 से 5 प्रत्येक 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर– 6 व 7 का आठवां हिस्सा निहित होकर उक्त हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजीयात अविभाजित है तथा पारिवारिक सजरा ग्राम पंचायत खेजडी सरपंच द्वारा जारी किया है , जो वादपत्र के साथ संलग्न है जो बाद जा का अंक है ।

3– वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर– 1 से 7 के पिता– पति एवं नाना का स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त पुश्तैनी अविभाजित अराजीयात का नामांकन कपटपूर्ण गलत एवं अवैध रुप से प्रतिवादीगण नम्बर– 1 से 5 द्वारा नामान्तकरण अपने निहित हिस्से से अधिक को 1/5 एवं 1/5 हिस्सा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करते हुये यह जानते हुये कि स्वर्गीय राजचन्द्र के 3 पुत्रिया श्रीमति छोटिया श्रीमति लादी एवं श्रीमति मुन्ना है, जो प्रतिवादी नम्बर– 6 स 7 की माता मुन्ना फौत हो चूकी है उसके उपरान्त भी अपने अकेले के नाम करवा लिया ।

4– प्रतिवादी नम्बर– 1 से 5 के नाम गलत एवं अवैध रुप से विवि विरुद्ध तरीके से अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अपने निहित हिस्से 1/8 से अधिक अपने नाम करवाने से प्रतिवादी नम्बर एक द्वारा हाल ही में विधिविरुद्ध तरीके से बिना विभाजन कराये ही अपने निहित हिस्से 1/8 से अधिक को चुपचाप प्रतिवादीया नम्बर– 8 अमीना पत्नि अकबर मुसलमान जो अजनबी व्यक्ति है, जिसको विक्रय कर दी जो वादीगण के हक पर बेसर है तथा प्रतिवादीगण 1 से 5 द्वारा गलत एवं अवैध रुप से अपने निहित हिस्से 1/8 से अधिक 1/5, 1/5 अपने अकेले के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा ली जिससे प्रत्येक वादीगण राजस्व रेकार्ड अपना निहित हिस्सा 1/8 एवं 1/8 एवं प्रतिवादी नम्बर– 1 से 5 प्रत्येक का 1/8 एवं प्रतिवादीया नम्बर– 6 व 7 का 1/8 अनुसार दर्ज कराने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है ।

5– प्रतिवादी नम्बर एक द्वारा गलत एवं अवैध रुप से अपने निहित हिस्से 1/8 से अधिक 1/5 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर– 8 को बिना विभाजन कराये ही विक्रय कर दिया जिसके आधार पर प्रतिवादीया नम्बर– 8 हाल ही दिनांक 12.08.2014 को उक्त आराजीयात पर आई एवं गलत एवं अवैध रुप से उक्त सामलाती एवं अविभाजित पुश्तैनी आराजीयात पर कब्जा करने लगी जिस पर वादीया द्वारा उक्त कृत्य नही करने बाबत रोक–टोक की तो कहा कि मैनें उक्त अराजीयात खरीद ली है ताकि तुम्हें उक्त आराजीयात में निहित हिस्से से बेदखल कर कब्जा करुंगी तथा मरने मारने पर आमादा हुई तथा ऐलानिया धमकी दी कि मौका पाकर तुम्हें बेदखल कर करुंगी जो कि प्रतिवादी नम्बर– 7 का उक्त कृत्य सरासर गलत होकर विधि–विरुद्ध तरीके से गये विक्रय के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम प्रतिवादी नम्बर–9 के मार्फत कराने पर आमादा है, जिससे उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना न्यायसंगत है । अगर प्रतिवादी नम्बर–8 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो गलत एवं अवैध रुप से कराये गये

यक कलेक्टर
O.) गुलाबपुरा
ला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

विक्रय के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लेगी तथा वादीगण को अपने निहित हिस्से से बेदखल कर देगी तो वादीगण अपने हक हिस्से से महरुम हो जायेगें तथा उनके बाल बच्चे भूखे मर जायेगे तथा असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कदापिता सम्भव नही हो कसेगी , एवं आवाश्यक मुकदमेंबाजी बढेगी ।

6— अन्त में अंकित किया गया कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण 1 से 8 के विरुद्ध घोषणात्मक डिकी इस आशय की पारित फरमावें कि वाद पत्र की कलम नम्बर–' 1 में वर्णित आराजीयात में प्रत्येक वादीया का 1/8, 1/8 हिस्सा निहित होकर राजस्व रेकार्ड में अपने निहित हिस्सा 1/8 अनुसार दर्ज कराने की एवं प्रतिवादी नम्बर– 1 द्वारा गलत एवं अवैध रुप से प्रतिवादी नम्बर– 8 के हक में कराया गया विक्रय दिनांक 11.08.2014 जो वादीगण के हक पर बेअसर है । घोषणात्मक डिकी सादिर फरमावें । बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण 1 से लगायत 8 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की पारित फरमावें कि वादपत्र की कलम नम्बर– एक में वर्णित आराजीयात में निहित हिस्से 1/8–1/8 के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें / करावें एवं अन्य उक्त आराजीयात में बलपूर्वक बेदखल नही करें एवं उक्त आराजीयात में कब्जा नही करें / करावें तथा प्रतिवादीया नम्बर– 8 अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नही करें/ करावें । दोहराने वाद अगर प्रतिवादीगण वादीगण को अपने निहित हिस्से से बेदखल कर दे तो पुनः वादीयागण को अपने निहित हिस्से 1/8. 1/8 पर स्थापित करने की डिकी सादिर फरमाई जावें ।

7— प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1 की और से दिनांक 23.03.2015 को प्रतिवादी संख्या– 8 की और से दिनांक 17.11.2015 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या– 2, 3, 4 की और से उनके अधिवक्ता श्री युगलकिशोर व्यास के द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया किन्तु उनके द्वारा जवाबदावा हेतु समुचित अवसर लिये जाने के उपरान्त भी जवाबदावा पेश नही किये जाने से प्रतिवादी संख्या– 2, 3, 4 की जवाबदेही स्टेज दिनांक 20.03.2018 को बन्द की गई । प्रतिवादी संख्या– 5, 6, 7 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 09.02.2015 को एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश प्रसारित किये गये । प्रतिवादी संख्या– 09 पैरोकारराज के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया ।

8— तत्पश्चात पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट खेजडी पर पेश हुई । वादीया श्रीमति लादी , श्रीमति छोटिया व उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये । प्रतिवादी संख्या– 1 के अधिवक्ता उपस्थित । प्रतिवादी संख्या– 2 मदनलाल , प्रतिवादी संख्या– 3 महावीर , प्रतिवादी संख्या– 4 पुखराज , प्रतिवादी संख्या– 5 कंचन, प्रतिवादी संख्या– 6 गुडडी , प्रतिवादी संख्या– 7 पूजा, प्रतिवादी संख्या– 8 अमीना उपस्थिति हुये । उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस

यक कलेक्टर
D. O.) गुलाबपुरा
जेला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करनें से उभयपक्ष को सूना गया । वक्त वहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 7 के पिता /पति एवं नाना रामचन्द्र पिता मांगीलाल के समय की है , जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर– 1 से 5 का प्रत्येक का 1/8– 1/8 तथा प्रतिवादी संख्या– 6 व 7 का 1/8 हिस्सा है और इसी हक हिस्से से वो काविज काश्त चले आ रहे है । खातेदार रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 ने विरासत से नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया जो वादी व प्रतिवादी संख्या– 6 से 7 के हकों पर नाजायज व बेअसर है। वकील वादी का यह भी कथन था कि प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 ने अपने निहित हक हिस्से से अधिक भूमि का विकय प्रतिवादी संख्या–8 अमीना को कर दिया जो वादीगण के हकों पर बेअसर है । प्रतिवादी संख्या– 8 उक्त बेचान के आधार पर वादीगण को उसके कब्जेकाश्त की आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें । अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर आराजी मुतदाविया में वादीगण को 1/8, 1/8 हक हिस्से से खातेदार घोषित फरमाया जावें ।

9– प्रतिवादी संख्या– 1 के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रतिवादी संख्या–1 के पिता रामचन्द्र की मृत्यु के उपरान्त राजस्व ऐजन्सी द्वारा नामान्तकरण कार्यवाही में जॉच कर प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 5 उनके पुत्र व पत्नि के नाम नामान्तकरण खोला गया जो सही खोला गया था । जिसकी जानकारी वादीयागण को होने पर भी उनके द्वारा उक्त नामान्तकरण को कोई चुनौती नही दी गई। वकील प्रतिवादी ने यह भी कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या–1 का 1/5 हिस्सा दर्ज होने से उसने प्रतिवादी संख्या– 8 को बेचान कर कब्जा सम्भलाया है जो सही है। वादीगण का विवादित आराजीयात में न तो कभी कब्जा था और न है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें ।

10– प्रतिवादी संख्या– 8 श्रीमति अमीना ने उपस्थित होकर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में दामोदर का यदि 8वॉ हिस्सा बनता है जिससे मेरी खरीदशुदा जमीन से कम रकबा आयेगा फिर भी में कम रकबा लेने को तैयार हुँ, जो मेरे नाम करवाया जावें ।

11– मैनें उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है।

12– पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2042–2045 मौजा खेजडी तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 909, 1363/2, किता 2 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा भूमि रामचन्द्र पिता मांगीलाल खाती साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । तथा इसी जमाबन्दी पर लगे नोट के अनुसार नामान्तकरण संख्या– 823 विरासत से रामचन्द्र के बजाय मदन, महावीर, पुखराज, दामोदर पिता रामचन्द्र, कंचन बेवा रामचन्द्र का नाम दर्ज रिकार्ड आना प्रकट

सहायक कलेक्टर
(A. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

आया है । वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र में आराजी नम्बर– 1988, 1989 किता 2 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा भूमि को भी उनके पिता रामचन्द्र पिता मांगीलाल खाती की होना बताया गया है । किन्तु इस बाबत पत्रावली में कोई राजस्व रिकार्ड उपलब्ध नही कराया गया है । जिससे यह माना जा सके कि वादग्रस्त आराजीयात नम्बर– 1988, 1989 उनके पिता रामचन्द्र पिता मांगीलाल के समय की हो ।

13 चुँकि यहाँ यह निर्विवाद है कि मृतक खातेदार रामचन्द्र पिता मांगीलाल के चार पुत्र कमशः दामोदर, मदनलाल, महीवर, पुखराज व तीन पुत्रीयॉ कमशः श्रीमति लोदी, छोटीया, मुन्ना तथा एक पत्नि कंचन है। इस प्रकार आराजी मुतदाविया में मृतक खातेदार रामचन्द्र पिता मांगीलाल के उक्त विविध वारीसानों का 1/8, 1/8 हक हिस्सा निहित है किन्तु राजस्व ऐजेन्सी के द्वारा जो नामान्तकरण संख्या– 823 खोला गया है उसमें मृतक खातेदार के पुत्र व पत्नि के नाम ही खोला गया है , जो विधि विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में मृतक खातेदार रामचन्द्र पिता मांगीलाल के हक हिस्से की आराजी नम्बर– 909, 1363/2 किता 2 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 प्रत्येक का 1/8, 1/8 तथा प्रतिवादी संख्या– 6 व 7 का 1/8 हक हिस्से से हक घोषणा करवाने के अधिकारी पाये जाते है।

14 वादीगण के द्वारा पत्रावली में जो हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 मोजा खेजडी की प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार आराजी नम्बर– 909 , 1363/2 , 1988 , 1989 किता 4 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि मदनलाल, महावीर, पुखराज, दामोदर पिता रामचन्द्र , कंचन बेवा रामचन्द्र, खाती साकिन देह के नाम अवश्य दर्ज रिकार्ड है । किन्तु उक्त आराजीयात में से आराजी नम्बर– 1988, 1989 किता 2 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा भूमि रामचन्द्र पिता मांगीलाल के समय की हो यह वादीगण के द्वारा सिद्ध नही कराया गया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी आंशिक डिकी किये जाने के योग्य है ।

"निर्णय"

दावा वादी आंशिक रुप से डिकी किया जाकर मौजा खेजडी तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 909, 1363/2, किता 2 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा भूमि में वादीगण को 1/8, 1/8 व प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 प्रत्येक का 1/8, 1/8 6 व 7 का 1/8 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है । तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें तथा आराजी नम्बर– 909, 1363/2, 1988, 1989 किता 4 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि मे खातेदार दामोदर पिता रामचन्द्र के हक हिस्से में आई भूमि के लिये प्रतिवादी संख्या–8 को खातेदार घोषित किया जाता है । डिकी पर्चा मुर्तिब हों। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट खेजडी पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner